

प्रेस विज्ञप्ति

दमोह जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्राधिकार पत्र निरस्त/ विक्रेताविहीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उचित मूल्य दुकानों के नाम निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	शासकीय उचित मूल्य दुकानका नाम
1	हटा	रजपुरा
2	हटा	कांटी
3	हटा	उदयपुरा
4	हटा	सनकुइया
5	पटेरा	बमनपुरा
6	पटेरा	तिदनी
7	पटेरा	धनगुवा
8	पटेरा	महना
9	पटेरा	कुडई
10	पटेरा	निमरमुडा
11	पटेरा	भरतला
12	पटेरा	कुलुवा
13	पटेरा	सलेया

उचित मूल्य दुकानों हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.rationmitra.nic.in के माध्यम से दिनांक 08.02.2024 से 15.02.2024 तक किये जा सकेंगे। विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) दमोह से प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु निम्नलिखित संस्थायें आवेदन कर सकती हैं।

- (अ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1)के अंतर्गत वर्गीकृत सोसायटी,
 (1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी
 (4) ससाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी
- (ब) महिला स्व-सहायता समूह
 (स) संयुक्त वन प्रबंध समिति

जिला आपूर्ति अधिकारी
 दमोह

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला दमोह

क्रमांक - 18 / खाद्य / दुकान आवंटन / 2024
 प्रतिलिपि :-

दमोह, दिनांक 07.02.2024

1. उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग दमोह की ओर उक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. सहायक आयुक्त, सहकारिता दमोह
3. महाप्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दमोह
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हटा
5. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हटा/पटेरा जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति अधिकारी
 दमोह